

कार्यालय - मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर

पत्रांक:- मु0चि0अ0/सह0पर्य0-वाहन/2018-19

दिनांक: 04.02.2019

मे0 श्री साई एजेन्सीज

13/8, सरॉय दुबे,

अलीगढ़ (उ0प्र0)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/07/2017-18/4276-76 दिनांक 01.08.2017 एवं एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/म0एण्डई0/017-18/01/4664-75 दिनांक 11.08.2017 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक मु0चि0अ0/सह0पर्य0/निविदा वाहन/2018-19/3067 दिनांक 31.01.2019 के अन्तर्गत प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त ब्लाक स्वास्थ्य इकाइयों में एक वाहन प्रति ब्लाक एवं दो वाहन जनपद स्तर पर रू0 30500.00 प्रति वाहन/प्रति माह की दर पर किये गये अनुबन्ध दिनांक 04.02.2019 की समस्त शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2019 से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें...

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहन संख्या	टैक्सी परमिट संख्या
1.	सी0एम0ओ0 आफिस	UP71X-5121	CC/STA/UP/2015/05953
2.	सी0एम0ओ0 आफिस	DL1Z3428	CC/ALL/DLB/09695/2017/2015
3.	खागा	UP71T-9670	CC/STA/UP/2017/06742
4.	हथगाम	UP81CT-0125	UP/81/AUTH/AITP/2018/105
5.	असोथर	UP79T-2340	CC/STA/UP/2014/01807
6.	घाता	HR55W-9945	41742/7.0/5
7.	विजईपुर	HR55V-7644	9191+115
8.	भिटौरा	DLIYE - 1479	DL/52/AUTH/AI/2017/6457
9.	हसवा	UP78 FN - 0038	CC/STA/UP/2018/05478
10.	तेलियानी	UP71AT-2756	CC/STA/UP/2019/00918
11.	देवमई	DLIZ-6591	DL/52/AUTH/AI/2019/318
12.	अमौली	DLIZ-6918	DL/52/AUTH/AI/2017/6458
13.	गोपालगंज	DLIYE-3921	DL/52/AUTH/AI/2018/29152
14.	बहुआ	DLIYE-5386	DL/52/AUTH/AI/2018/17311
15.	खजुहा	UP71AA-2705	CC/STA/UP/2015/05751

नोट: समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स हो।

मुख्य चिकित्साधिकारी
Chief Medical Officer
फतेहपुर
तददिनांक

पत्रांक:- मु0चि0अ0/सह0पर्य0-वाहन/2018-19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

01. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
04. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
03. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद।
04. जनपदीय नोडल अधिकारी प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यक्रम, फतेहपुर।
06. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0, फतेहपुर।
07. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवंटित वाहनों का नियमानुसार प्र0सह0पर्य0 एवं अनु0 कार्यक्रम में ही उपयोग करें तथा सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलों को सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
08. मे0 मार्डन इण्टर प्राइजेज, 662/9 सिविल लाइन, डी0एम0 कालोनी, गली नं0 - 1 बांदा (उ0प्र0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपका अनुबन्ध दिनांक 31.01.2019 से निरस्त माना जायेगा। अतएव चिकित्साधिकारी से सत्यापित कराकर, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें, ताकि भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर

सेवा में,

मिशन निदेशक महोदय,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक - मु0चि0अ0/सह0पर्य0/सत्या0रि0/2017-18/3819

दिनांक 21-02-2018

विषय - वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु टैक्सी परमिट वाहन के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के सम्बन्ध में

महोदय,

आपके पत्र संख्या - एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड ई0/2016-17 /01/9646-25 दिनांक 15.12.2017 के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद द्वारा, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी टैक्सी परमिट वाहनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। जिसकी आख्या सादर आपको सूचनार्थ प्रेषित है, जो निम्नवत् है-

Sr. No.	Name of Division	Name of District	Block Name	vehicle No.	Date of Hring	Mar-17
1	Allahabad	Fatehpur	DHQ	UP71 2700	01-04-2016	Mar-17
2			Dhata	UP71 5121	01-04-2016	Mar-17
3			Devmai	UP73 A 3602	01-04-2016	Mar-17
4			Hathgam	UP78 ED 7437	01-04-2016	Mar-17
5			Vijaipur	UP78 CT 9874	01-04-2016	Mar-17
6			Asothr	UP71 T 1422	01-04-2016	Mar-17
7			Amauli	UP71 T 6843	01-04-2016	Mar-17
8			Khajuha	UP71 T4 760	01-04-2016	Mar-17
9			KHAGA	UP78 OW 8626	01-04-2016	Mar-17
10			Malwan	UP71 T 1781	01-04-2016	Mar-17
11			Bahuwa	UP78 CA 6950	01-04-2016	Mar-17
12			HASWA	UP71 B 9087	01-04-2016	Mar-17
				UP71 T5782	01-04-2016	Mar-17

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करे। अगामी जिला स्वास्थ्य समिति के बैठक में नवीनीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति आपकी सेवा में प्रेषित कर दी जायेगी।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर

Amu
Reny

पत्रांक - मु0चि0अ0/सह0पर्य0/सत्या0रि0/2017-18

तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी महोदय, अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, फतेहपुर।
2. वित्त नियन्त्रक एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
4. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक डी0पी0एम0यू0, फतेहपुर

Amu
Reny

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फतेहपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 514399

अनुबन्ध-पत्र

प्रथम पक्ष : मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव – जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद फतेहपुर
द्वितीय पक्ष : मे० श्री साई एजेन्सीज, 13/8 सराय दुबे, अलीगढ़ (सेवाप्रदाता)

यह अनुबन्ध पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, फतेहपुर द्वारा "प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यक्रम" के अन्तर्गत संचालित चार पहिया वाहनों के सम्बन्ध में दिनांक 14.01.2019 को करायी गयी ई-निविदा में द्वितीय पक्ष की दरें न्यूनतम पाये जाने एवं जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन दिनांक 30.01.2019 के क्रम में, आज दिनांक 04.02.2019 को जनपद फतेहपुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 04.02.2019 से 03.02.2021 तक होगी।

द्वितीय पक्ष जनपद फतेहपुर के जिला एवं समस्त ब्लाक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन संचालित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा....

- सेवा प्रदाता (द्वितीय पक्ष) द्वारा संचालित चार पहिया टैक्सी परमिट वाहन रू० 30500/- (रू० तीस हजार पाँच सौ) प्रतिवाहन/प्रतिमाह किराये की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- समस्त वाहनों का पंजीयन वर्ष 2014 अथवा उसके बाद का होना चाहिए। वर्ष 2014 से पूर्व की गाड़ियों स्वीकार नहीं की जायेगी।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहिन्सिव इश्योरेन्श के तहत मिलेगी।

क्रमशः.../2

M/s SHREE SAI AGENCIES
13/8, SARAI DUBEY, ALIGARH

राजीव कुमार

- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन, टैक्सी परमिट, दोषमुक्त एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण वाहन भ्रमण पर नहीं जाता है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा। वाहन चालक के पास वैद्य ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्धित वाहनों की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 08 घण्टे सुनिश्चित की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1500 कि०मी० चलाना होगा। यदि वाहन 1500 कि०मी० से कम चलता है तो प्रथम पक्ष द्वारा अनुपातिक कटौती कर, भुगतान किया जायेगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन अनिवार्य रूप से जी०पी०एस० युक्त होंगे। जी०पी०एस० का डाटा सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बीजक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल के साथ लागबुक, ड्यूटी स्लिप, एवं जी०पी०एस० डाटा संलग्न किया जायेगा, जिसको टीम लीडर द्वारा हस्ताक्षरित कराते हुये, सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जी०पी०एस० वाहन में लगवाने एवं जी०पी०एस० डाटा उपलब्ध कराने हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी को अनुबन्ध के अनुसार धनराशि देय होगी। इसके अतिरिक्त समस्त कर यथा जी०एस०टी०, सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स, चालक का मानदेय, टोल टैक्स, मेन्टीनेन्स, टूटफूट आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सेवप्रदाता की होगी, जिसके लिए कोई दावा विभाग पर मान्य नहीं होगा।
- वाहनों को भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये, वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम ₹ 1000/- प्रति दिन की दर से वसूली की जायेगी।
- द्वितीय पक्ष जमानत धनराशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम ₹ 222000/- (₹ दो लाख बाइस हजार मात्र) (NO 470530) एवं ₹ 75000/- (₹ पचहत्तर हजार मात्र) (NO. 470476) कुल 297000.00 (दो लाख सत्तानबे हजार मात्र) की एफ०डी०आर० बंधक के रूप में जमा की गयी है, जो किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध की अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
- प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन चालक का नाम एवं मोबाइल नं० सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के पास उपलब्ध कराया जायेगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।
- द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करेगा। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

क्रमशः.../3

M/s SHREE SAI AGENCIES
13/8, SARAI DUBEY, ALIGARH

राजीव कुमार

- वाहन की छोटी-मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की जिम्मेदारी/व्यवस्था द्वितीय पक्ष की होगी। बड़ी टूट-फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व भी द्वितीय पक्ष का होगा।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में समय-समय पर निरीक्षण/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
- निविदा 02 वर्ष के लिए मान्य होगी, यदि अपरिहार्य स्थिति में अगली निविदा समय से न होने पर चयनित फर्म को पूर्व स्वीकृत दर एवं शर्तों पर ही वाहन का संचालन करना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त कर अथवा मूल्य देय नहीं होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा लगभग प्रतिदिन इकाई के नोडल अधिकारी से सत्यापित करानी होगी, जिससे भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
- द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक बिल प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।
- वाहन को चालू हालत में रखने हेतु समय-समय पर वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद न्यायालय फतेहपुर के अधीन किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक न पाये की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन का समय देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा जमानत धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान : फतेहपुर

दिनांक : 06/फरवरी/2019.

Chief Medical Officer
ह0 प्रथम पक्षFatehpur.....

ह0 द्वितीय पक्ष
M/s SHREE SAI AGENCIES
13/8, SARAI DUBEY, ALIGARH

गवाह

01.

राजन कुमार शर्मा
प्लॉट-8 नजीर गुलाबगरी रोड अलीगढ़

02.

कार्यालय – मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर

पत्रांक:- मु0चि0अ0/मोबिलिटी सपोर्ट/वाहन/2017-18 /254

दिनांक:- 01.11.2017

मे0 मार्डन इण्टरप्राइजेज
662/9 सिविल लाइन,
डी0एम0 कालोनी, गली नं0 - 1
बांदा (उ0प्र0)

अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक मु0चि0अ0/प्र0सह0पर्यवेक्षण वाहन/2015-16/563 दिनांक 01.01.2016 के क्रम में आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु आपकी फर्म को रू0 29900/- प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था। अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 09 के अनुसार आपकी फर्म की सेवायें एक वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थीं। आपसे किया गया अनुबन्ध दिनांक 13.11.2017 को समाप्त हो रहा है। चूंकि वर्तमान समय ई-टेण्डर प्रणाली लागू हो गयी है। आगामी वर्ष हेतु वाहनों का टेण्डर ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत कराया जाना है।

अतः यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी सेवायें दिनांक 13.11.2017 के उपरान्त आगामी ई-टेण्डर होने तक जारी रखें, ताकि शासकीय कार्यक्रम प्रभावित न हो।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर
तददिनांक

पत्रांक:- मु0चि0अ0/मोबिलिटी सपोर्ट/वाहन/2017-18 /255-2

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
02. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0, फतेहपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर